

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्या-3क/आधु सेल-100(निर्देश)-2003 दिनांक दिसम्बर 04, 2006

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय भण्डार एवं सामग्री क्रय के सम्बन्ध में "मार्गदर्शक बिन्दु" भेजा जाना।

---0---

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपकरणों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट-18 एवं 19 में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर सामानों की आपूर्ति, मशीनों की मरम्मत के लिए अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2 उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-2772/6-पु-7-2002-56/98 दिनांक 28.8.2002 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को रु 125.00 लाख की सीमा तक क्रय अनुमोदन के अधिकार दिये गये थे, जिसे शासनादेश संख्या-5167/6-पु-7-06-56/98 दिनांक 07.11.2006 द्वारा बढ़ाकर रु 500.00 लाख कर दिया गया है। इसकी प्रति पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-3/स-51-98 दिनांक 13.11.2006 द्वारा सर्वसम्बन्धित को भेजी जा चुकी है।

3 आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत उपकरणों के क्रय हेतु समय-समय पर इकाइयों के विभागाध्यक्षों, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों एवं जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को क्रय हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उपकरणों/सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में सुविधा हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देशों तथा विभिन्न शासनादेशों में निर्गत निर्देशों के आवश्यक अंशों का संकलन करके, पुलिस मुख्यालय में नियुक्त वित्त विभाग के अधिकारियों के सहयोग से एक गाइड लाइन (भण्डार एवं सामग्री क्रय सम्बन्धी मार्गदर्शक बिन्दु) तैयार की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

4 अनुरोध है कि कृपया भण्डार एवं सामग्री क्रय सम्बन्धी मार्गदर्शक बिन्दु में उल्लिखित तथ्यों का अध्ययन करके प्राधिकृत किये जाने, उपकरणों/सामग्रियों के क्रय की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय।
संलग्नक : यथोपरि।


24.12.06
(श्रीराम त्रिपाठी)

पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 पुलिस मुख्यालय में नियुक्त सभी अधिकारीगणको संलग्नक टिप्पणी।
- 2 समस्त अनुभाग अधिकारी पुलिस मुख्यालयको संलग्नक प्रेषित।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

-----0-----

भण्डार एवं सामग्री क्रय सम्बन्धी मार्गदर्शक बिन्दु

1. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-19 के नियम 9 में वर्णित प्रावधान के अनुसार तथा शासनादेश वित्त (लेखा अनुभाग-1) दिनांक 14 अक्टूबर 1996 के अनुसार कोटेशन/निविदा आमंत्रित करके सामग्री क्रय करने हेतु वित्तीय सीमा निम्नानुसार है:-

<u>रूपये तक</u>	<u>क्रय का प्रकार</u>
रु० 2500/- तक	बिना कोटेशन आमंत्रित किये।
रु० 2501/- से 15000/- तक	कोटेशन मंगाकर।
रु० 15001/- एवं ऊपर	निविदा आमंत्रित कर।

यहां यह बात का ध्यान रखना होगा कि भण्डार एवं सामग्री का क्रय निविदा के माध्यम से करने से पहले खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-18 के पैरा-4 एवं शा० संख्या-2177 एल/18-7-94-15(एस पी)-92, दि 17.10.94 (संलग्नक-1) में निहित प्रावधान के अनुसार निम्न बातें भी ध्यान में रखी जाय:-

- यथा-सामग्री उद्योग, निदेशक के दर अनुबन्ध पर तो उपलब्ध नहीं है।
- डी.जी.एस. एण्ड डी. दर अनुबन्ध पर तो उपलब्ध नहीं है।
- यह कि वस्तु प्रोपराइटी आइटम तो नहीं है।

यदि उपरोक्त तीनों में से कोई एक शर्त लागू होती है तो निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। उपकरण यदि प्रोपराइटी आइटम है तो शासन से पूर्व अनुमति लेकर सीधे क्रय की कार्यवाही की जा सकती है।

2. शासनादेश संख्या-2772/6-पु-7-2002-56/98 दिनांक 28.8.2002 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को रु. 125.00 लाख की सीमा तक क्रय अनुमोदन का अधिकार दिया गया था। पुलिस विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासनादेश संख्या-5171/6-पु-7-06-56/98 दिनांक 7.11.2006 द्वारा धनराशि रु. 125.00 लाख की सीमा को बढ़ाकर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को रु. 500.00 लाख तक क्रय अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया है। शासनादेश संख्या-5167/6-पु-7-06-56/98 दिनांक 7.11.2006(संलग्नक-2) में विभिन्न स्तर के अधिकारियों को क्रय समिति के बैठक की अध्यक्षता करने तथा क्रयानुमोदन हेतु निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है:-

क्रम	पदनाम	क्रय समिति की अध्यक्षता में किये जाने के मामलों की धनराशि	क्रयानुमोदन
1.	पुलिस अधीक्षक	10 लाख तक	-
2.	पुलिस उपमहानिरीक्षक	50 लाख तक	10 लाख तक
3.	पुलिस महानिरीक्षक	125 लाख तक	50 लाख तक
4.	अपर पुलिस महानिदेशक	500 लाख तक	125 लाख तक
5.	पुलिस महानिदेशक	-	500 लाख तक

निविदा द्वारा क्रय की प्रक्रिया

रु. 15,000/- से अधिक मूल्य की सामग्री के क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया

अपनायी जायेगी।

(शासनादेश संख्या-ए-1-2086/दस-96-15(1)/96 दिनांक 14.10.96 तथा वि०ह०पु० खण्ड-पांच भाग-1 परि०-19 नियम-9)

2. सामग्री के सम्बन्ध में सबसे पहले यह अवधारित कर लिया जाय कि वह डी.जी.एस. एण्ड डी. अथवा उद्योग निदेशक द्वारा दर अनुबन्धित तो नहीं है। यदि है तो दर अनुबन्धित दर से फर्म से कय किया जाय। डी.जी.एस. एण्ड डी. अनुमोदित फर्म से कय करने से पूर्व क्रेता विभाग द्वारा शासन से अनुमति लेनी आवश्यक है। (वाहन एवं रेडियो उपकरणों को छोड़कर)

(वि०ह०पु० खण्ड-पांच भाग-एक परि०-18 पैरा-4 तथा शासनादेश संख्या: 2177एल/18-7-94-15(एसपी)-92, दिनांक 17.10.94)

3. सामग्री यदि एकल उत्पादक (सोल प्रोपराइटरी) से आपूर्ति होनी है, तो फर्म के तद्आशय के प्रमाण-पत्र के साथ निर्धारित फार्म में उद्योग निदेशक के माध्यम से शासन से अनुमति लेकर "एकल निविदा" सीधे सम्बन्धित उत्पादक से आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाय। लेकिन प्रस्ताव भेजने से पहले तथा निविदा आमंत्रित करने से पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जाय कि वस्तु (Commodity) के नाम से ही प्रस्ताव/निविदा भेजा जाय। प्रस्ताव/निविदा में ब्राण्ड,मेक,माडल आदि के नाम नहीं लिखे जाने चाहिए।

4. आयातित मर्चों के कय के सम्बन्ध में वि०ह०पु० खण्ड-पांच भाग-एक परिशिष्ट-18 के नियम-7 में रूपरेखा दी गयी है,जिससे स्पष्ट किया गया है कि:-

- (अ) राज्य सरकार से अनुमति ली जायेगी।
- (ब) ग्लोबल टेण्डर मांगा जायेगा।
- (स) भारत सरकार द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची से ही कय होगा।
- (द) भुगतान की प्रक्रिया वि०ह०पु० खण्ड-पांच भाग-एक के परिशिष्ट-19 में उल्लिखित है, उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।
- (य) बजट की व्यवस्था होने पर ही आयात सम्भव होगा।
- (र) अद्यावधिक आयात नीति के नियमों तथा प्रक्रियाओं का भली-भांति संज्ञान ले लिया जाना चाहिये।
- (ल) आयात लाइसेन्सधारी फर्म की निविदा को ही मान्यता दी जानी चाहिये।

5. शासनादेश संख्या-एल/18-7-94-15(एसपी)-92 दिनांक 17.10.94 के अनुसार कय समिति निम्न प्रकार से गठित की जायेगी:-

- | | |
|---|---------|
| (1) सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष | अध्यक्ष |
| (2) उद्योग निदेशक अथवा उद्योग विभाग | सदस्य |
| (3) विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वरिष्ठतम लेखाधिकारी | सदस्य |
| (4) विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ | सदस्य |

6. कय समिति की अध्यक्षता हेतु वित्तीय राशि के अनुसार प्राधिकार,

शासनादेश संख्या-एल/18-7-94-15(एसपी)-92 दिनांक 17.10.94 में दिये गये हैं।

जिनका संज्ञान समिति के गठन के समय अवश्य लिया जाय।

7. क्रय समिति की पहली बैठक में निविदा का स्वरूप (एकल, स्थानीय, देशीय अथवा ग्लोबल), समय व शर्तें, अर्नेस्ट मनी की धनराशि, सामग्री की विशिष्टियां (स्पेशिफिकेशन्स), समय सारिणी, यदि उपकरण तकनीकी हैं तो तकनीकी समिति का गठन आदि संबंधी समस्त विचार-विमर्श कर निविदा प्रक्रिया की अग्रेतर कार्यवाही तय कर ली जाय।

8. शासनादेश संख्या-700(सु0 व ज0स0वि0 (विज्ञा0)-2002, दिनांक 9.5.2002 के अनुसार निविदा नोटिस के प्रकाशन एवं वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु सूचना विभाग को प्रेषित कर दिया जाय। निविदा की विज्ञप्ति निदेशक, सूचना को भेजते समय यह ध्यान रखा जाय कि विज्ञप्ति (Tender Notice) संक्षिप्त हो, उसमें केवल आवश्यक सूचना ही दी जाय। निविदा की शर्तें एवं अन्य प्रपत्र टेण्डर फार्म देते समय अथवा विभाग की वेबसाइट से प्राप्त करने का उल्लेख कर दिया जाय। सुगमता हेतु निविदा (Tender Notice) का प्रारूप संलग्न है। (संलग्नक-3)

9. ₹0 50,000/- से अधिक मूल्य के क्रय हेतु निविदा आमंत्रण में प्रथम बार न्यूनतम 30 दिवस का समय दिया जाना आवश्यक है।

(वि0ह0पु0 खण्ड-पांच भाग-एक परि0-19 पैरा-1। तथा परि0-19ए, पैरा-360)

10. निविदा सूचना के दो भाग होंगे:- (i) तकनीकी निविदा तथा (ii) वित्तीय निविदा। निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी भी ली जानी आवश्यक है, जो लागत मूल्य (अनुमानित) के 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक एक मुश्त धनराशि (राउण्ड फिगर) के रूप में निश्चित की जायेगी। यदि किसी फर्म/संस्था को इसकी छूट है, तो सम्बन्धित फर्म/संस्था को इस छूट के लिए प्रमाण देना आवश्यक होगा।

11. यदि प्रथम बार निविदा आमंत्रण में तीन से कम निविदाएं प्राप्त हों और किसी प्रकार की अपरिहार्यता व समयाभाव न हो तो सामान्यतया पुर्ननिविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाय।

(वि0ह0पु0 खण्ड-पांच भाग-एक परि0-19 पैरा-21)

12. अपरिहार्यता व समयाभाव की दशा में तीन से कम निविदाएं प्राप्त होने पर प्रस्तावित दरें, स्थानीय दरों के सर्वेक्षण व चालू बाजार दरों के परीक्षण पर ये सुनिश्चित करते हुए कि शासन के विरुद्ध कोई भी कड़ी (रिंग) नहीं है, निविदा स्वीकृत की कार्यवाही की जायेगी।

(वि0ह0पु0 खण्ड-पांच भाग-एक परि0-19 पैरा-31)

13. उपर्युक्तानुसार प्राप्त निविदाओं में तकनीकी निविदाओं का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा करके अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।

14. तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर अनुमोदित फर्म की वित्तीय निविदायें क्रय समिति के जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी। इसमें आवश्यक यह है कि जिन फर्मों की वित्तीय निविदाएं खोली जायें, उनके

प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया हो। इस कार्य के लिये क्य समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

(वि०ह०पु० खण्ड-पांच भाग-एक परि०-19 पैरा-11)

15. खोली गयी निविदाओं में अंकित दरों के आधार पर तुलनात्मक चार्ट तैयार कराकर निर्णय लेने हेतु क्य समिति की बैठक बुलाई जायेगी।

16. क्य समिति के निर्णय पर सक्षम प्राधिकारी से कयानुमोदन प्राप्त किया जायेगा। (शासनादेश संख्या: 5167/6-पु-7-06-56/98 दिनांक 7.11.2006)

17. अनुमोदित फर्म एवं क्य समिति के अध्यक्ष मध्य संविदा (एग्रीमेण्ट) निष्पादित की जायेगी तथा अर्नेष्टमनी वापस/समायोजित करते हुये 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा कराकर क्य समिति के अध्यक्ष द्वारा कयादेश निर्गत किया जायेगा।

(वि०ह०पु० खण्ड-पांच भाग-एक परि०-19 पैरा-23)

18. फर्म से आपूर्ति स्वीकार करने से पूर्व क्रेता विभाग की निरीक्षण समिति द्वारा प्री-डिलीवरी इन्सपेक्शन किया जाना आवश्यक होगा।

19. सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति के पश्चात् क्य समिति के अध्यक्ष द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार भुगतानादेश पारित किया जायेगा।

20. विभिन्न मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए अथवा सामान की पूर्ति के लिए गैर सरकारी पार्टियों को अग्रिम भुगतान करने से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-162 के अनुसार वित्त विभाग में भेजे जाते हैं। सामान्य तौर से की गयी मरम्मत अथवा पूर्ति के लिए भुगतान, मरम्मत अथवा पूर्ति हो चुकने पर ही की जानी चाहिए परन्तु यदि फर्म अग्रिम भुगतान के लिए जोर दे, तो फर्मों की मांग पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इस विषय पर शासनादेश सं. ए-1-2774/दस-15-1(1)-69 दिनांक 25.10.1983 (संलग्नक-4) में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इनके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

21- शासकीय कार्यों के सम्पादन में पादर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा डाकुमेन्ट्स उपलब्ध कराने, टेण्डर को अन्तिम रूप दिये जाने आदि के सम्बन्ध में शासनादेश सं. ए-1-1173/दस-200-10(55)/2000 दिनांक 27 अप्रैल 2001 (संलग्नक-5) में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इनका पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

निविदा प्रक्रिया के समय आने वाले कुछ व्यवहारिक विचारणीय बिन्दु

1. न्यूनतम निविदा एवं तुलना हेतु कम से कम कितने निविदादाता होने चाहिए?

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-19 के प्रस्तर-21 में निम्नतम निविदा (लोवेस्ट टेण्डर) का उल्लेख है। जैसाकि लोवेस्ट शब्द सुपरलेटिव

डिगी का आभास कराता है। अतः कम से कम तीन निविदादाता होने चाहिए। सामान्य व्यवहार में भी यही प्रथा प्रचलित है।

2. क्या न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करना चाहिए ?

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-19 में ही प्रस्तर-21 में लिखा है कि यदि न्यूनतम निविदा को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिये।

3. क्या अल्पकालिक निविदा पहली ही बार में आमंत्रित किया जा सकता है?

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-19 के प्रस्तर-11 में विज्ञापन की तिथि से लगातार एक माह की समयावधि या सूचना अनुज्ञात होनी चाहिए अर्थात् प्रथम निविदा में अल्पकालीन निविदा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

4. निविदा की सिक्योरिटी किस रूप में ली जानी चाहिए?

निम्न रूपों में ली जानी चाहिये:-

- (A) पोस्ट आफिस केश सर्टीफिकेट
- (B) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट
- (C) गवर्नमेन्ट प्रामिसरी नोट्स
- (D) फिक्स्ड डिपोजिट रिसीट्स आफ स्टेट बैंक आफ इण्डिया
- (E) नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट
- (F) डिपोजिट एट काल रिसीट्स आफ स्टेट बैंक आफ इण्डिया
(बैंक गारण्टी)

5. जमानत धनराशि (सिक्योरिटी) को कब एवं कैसे वापस किया जा सकता है। किसी निविदादाता द्वारा सकुशल सम्पूर्ति किये जाने के 6 माह बाद या किसी निविदादाता के निविदा को अमान्य किये जाने के बाद सक्षम अधिकारी की अनुमति से वापस कर दिया जाना चाहिए।

6. आमंत्रित निविदा को किसके द्वारा खोला जाना चाहिए?

निविदादाताओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए (यदि वह उपस्थित रहना चाहें तो) किसी दायित्वाधीन अधिकारी द्वारा खोला जाना चाहिए।

7. निविदा या करार को भंग करने पर क्या कोई दण्ड लगाया जा सकता है?

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-19 के प्रस्तर-27 में स्पष्ट है कि विशेष शास्ति संलग्न करनी चाहिए।

8. उपरोक्तानुसार क्रय की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्

जब आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय-आदेश के अनुसार संबंधित उपकरणों/सामानों की आपूर्ति क्रेता विभाग को कर दी जायेगी तो क्रेता विभाग के मुखिया का यह दायित्व होगा कि आगामी 6 माह में क्रय किये गये उपकरणों/सामानों के प्रयोग तथा उपयोगिता का अनुश्रवण भी करेंगे। इसी के साथ-साथ जमानत की धनराशि की वापसी के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपूर्ति किये गये उपकरण/सामान अधिष्ठापित किये गये स्थानों पर/प्रयोग किये जाने की दशा में संतोषपूर्ण ढंग से अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। उसके पश्चात् क्रेता विभाग के मुखिया को निम्न बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजना होगा कि:-

1. क्रय किये गये उपकरण/सामान की गुणवत्ता पर्याप्त है अथवा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों में उनकी विशिष्टताओं को और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तथा वे विशिष्टतायें क्या हैं, स्पष्ट करने का उल्लेख करें।
2. क्रय किये गये उपकरण/सामानों के प्रयोग के फलस्वरूप विभाग की कार्यक्षमता में क्या बढ़ोत्तरी हुई।
3. भविष्य में इसी प्रकार के उपकरण/सामान को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विभाग के हित में इनकी उपयोगिता सम्बन्धी अपनी संस्तुति भेजेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि भविष्य में जो भी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किये जाय, उनकी उपरोक्त तीनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही तैयार कराये जाय।
